बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्र०—10/ल०ज०स०/लो०सू०को०/आई०डी०क्र०—116/2025—26 /पटना, दिनांक—

प्रपत्र 'घ'
(नियम4(1) देखें)
सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रेषक,

दिलीप कुमार चौधरी,
अवर सचिव—सह—लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार,
पता—अधीक्षण अभियंता,
(मु0) उड़नदस्ता का कार्यालय जल भवन,
द्वितीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना,
पिनकोड—800014 (बिहार), मो0—9801962072
E-mail –nehaditya11@gmail.com

ई—मेल

विषयः— **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत् मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**
प्रसंगः— **आपका सूचना आवेदन दिनांक—10.03.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना (कुल तेरह पृष्ठों में) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/—
दिलीप कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव,
—सह—
लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—2157 /पटना, दिनांक— 02/4/26

प्रतिलिपिः— विभागीय आई०टी० कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु०:—यथोक्त।

02-4-26

लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

Suman

e:\letter n notesheet\letter\letters 2.docx

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्र०–10 / ल०ज०स० / लो०सू०को० / आई०डी०क्र०–116 / 2025–26 2157 / पटना, दिनांक 02/4/26

प्रपत्र 'घ'

(नियम4(1) देखें)

सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रेषक,

दिलीप कुमार चौधरी,
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार,
पता–अधीक्षण अभियंता,
(मु0) उड़नदस्ता का कार्यालय जल भवन,
द्वितीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना,
पिनकोड–800014 (बिहार), मो0–9801962072
E-mail –nehaditya11@gmail.com

ई–मेल

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका सूचना आवेदन दिनांक–10.03.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना (कुल तेरह पृष्ठों में) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

02-4-26

दिलीप कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव,
–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

Suman

e:\letter n notesheet\letter\letters 2.docx

संoसंo-प्रo-01/लoजoसंo/स्थाo(राजo)-19/2023

- प्राप्त पत्रांक-1589(मोo) दिनांक-15.12.2025 - श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता(मुo) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना(पृo-137/पo) ।

कृपया पृo-137/पo का अवलोकन किया जाय ।

2 श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता(मुo), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-1589(मोo) दिनांक-15.12.2025 के माध्यम से तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

उल्लेख करना है कि विभागीय अधिसूचना संo-1507 दिनांक-01.02.2025(पृo-121-120/पo) द्वारा श्री कुमार को कार्यपालक अभियन्ता (असैनिक)(वेतन स्तर-11) से अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के पद का विहित वेतनमान सहित(वेतन स्तर-13) अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है ।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संo-19300 दिनांक- 13.10.2023 द्वारा राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पदसोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने संबंधी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली,2023 बनायी गयी है ।

4. उल्लेखनीय है कि विभागान्तर्गत मुख्य अभियन्ता(असैनिक/यॉंत्रिक) के स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त बल की स्थिति निम्नवत् है-

क्रo संo	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	2	3	4	5
1.	मुख्य अभियन्ता (असैनिक)	03	03	00
	मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक)	01	00	01

5. **श्री कुमार असैनिक कोटि के अधीक्षण अभियन्ता(कार्यकारी प्रभार) हैं ।** उपर्युक्त कंडिका के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत अभियन्ता को **मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करने हेतु वर्तमान में एक भी रिक्त नहीं है ।**

6. ज्ञातव्य हो कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संo-19300 दिनांक-13.10.2023(पृo-3-1/पo) के नियमावली के तहत उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान किये जाने हेतु दिनांक-18.10.2023 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गयी थी ।

उक्त आहूत बैठक में उच्चतर पद मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार विहित वेतनमान सहित प्रदान किये जाने हेतु श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध **आरोप-पत्र गठित एवं निर्गत रहने के कारण निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा** की गयी(पृo-75/पo क्रoसंo-7) ।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित एवं निर्गत रहने के कारण समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा के साथ ही इनसे कनीय कार्यपालक अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद का स्थानापन्न आधार पर कार्यकारी प्रभार प्रदान किये जाने के योग्य पाया गया ।

7. उल्लेखनीय है कि श्री राजेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, असैनिक सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता(कार्यकारी प्रभार) को संस्थित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त होने के फलस्वरूप अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली,2023 के तहत भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जा सकता है अथवा नहीं, के संबंध में परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की गयी ।

सामान्य प्रशासन विभाग का मुख्य परामर्श(पृ0-27-28/टि0) निम्नवत है:- **"राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में विभागीय अधिसूचना सं0-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा दिशा-निदेश निर्गत किया गया है । जहाँ तक भूतलक्षी प्रभाव से उच्चतर पद का प्रभार देने का प्रश्न है, इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।**

अतएव यदि कोई कर्मी/पदाधिकारी उच्चतर पद हेतु सभी अर्हताएँ पूर्ण करते हैं, तो रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा" ।

8. **सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-7433 दिनांक-06.06.2018** (पृ0-135-132/प0) द्वारा **राज्य की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है । उक्त संकल्प में वर्णित कालावधि के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता(वेतन स्तर-13) से मुख्य अभियन्ता(वेतन स्तर-13A) में प्रोन्नति/कार्यकारी प्रभार प्रदान करने हेतु 02 वर्ष की कालावधि निर्धारित है ।**

उक्त संकल्प की कंडिका-3(iv) में प्रावधानित है कि *"निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उसे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतन स्तरों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है"* ।

यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, असैनिक(कार्यकारी प्रभार) वर्तमान धारित पद पर न्यूनतम 01 वर्ष की कालावधि दिनांक-31.01.2026 को पूर्ण करते हैं । परन्तु वर्तमान में मुख्य अभियन्ता(असैनिक) का एक भी पद रिक्त नहीं है ।

संoसंo-प्रo-01/लoजoसंo/स्थाo(राजo)-19/2023

'क' अतएव वर्तमान में मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद की रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, असैनिक (कार्यकारी प्रभार), (मुo) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा मुख्य अभियन्ता (असैनिक) के पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रदान करने हेतु किया गया अनुरोध विचारणीय नहीं है ।

22.12.25

(शिवम कुमार)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

अवर सचिव

कृपया।

22.12.25

2036/AS II
22/12/25

अपर सचिव

पृ० 33/टि० से टिप्पणी देखा।
तदनुसार पृ० 34-35/टि० पर चिन्हित अंश 'क' अनुमोदित किया जा सकता है।

सचिव

23/12/25
सुशांत कुमार

23/12
बी० कार्तिकेय धनजी

सचिव कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग
आवती सं० 4084
प्राप्ति तिथि 23/12/25

23/12/25
अपर सचिव

विशेष ओo
23.12.25

सं0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-19/2023

- गै0स0प्रे0सं0-107 दिनांक-28.01.2026 - मंत्री कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना(पृ0-157-149/प0) ।
- प्राप्त पत्रांक-49 दिनांक-27.01.2026 - अधीक्षण अभियंता(मु0), उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना(पृ0-148-140/प0) ।

कृपया पृ0-157-140/प0 का अवलोकन किया जाय ।

2. श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता(मु0), उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा पत्रांक-49 दिनांक-27.01.2026 के माध्यम से तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री कुमार द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के तहत दिनांक-01.02.2025 से अधीक्षण अभियंता के पद पर विहित वेतनमान के साथ कार्यरत हैं । सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-19300 दिनांक-13.10.2023 की कंडिका-6(vi) के आलोक में दिनांक-31.01.2026 को अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त किये जाने हेतु योग्य हैं । साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में वरीयता क्रम में इनसे कनीय दो पदाधिकारी अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान सहित उच्चतर पद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पदसोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने संबंधी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली,2023 बनायी गयी है ।

4. उक्त नियमावली के तहत उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार विहित वेतनमान सहित प्रदान किये जाने हेतु दिनांक-18.10.2023 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गई । उक्त आहूत बैठक की कार्यवाही पृष्ठ-76-70/प0 पर अवलोकनीय है ।

उक्त आहूत बैठक में उच्चतर पद मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान किये जाने हेतु श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता-सह-प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के विरूद्ध **आरोप-पत्र गठित एवं निर्गत रहने के कारण निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा** की गयी(पृ0-75/प0 क्र0सं0-7) ।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित एवं निर्गत रहने के कारण समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा के साथ ही इनसे कनीय कार्यपालक अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद का स्थानापन्न आधार पर कार्यकारी प्रभार प्रदान किये जाने के योग्य पाया गया ।

5. उक्त नियमावली के अधीन विभागान्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक अभियन्ता(असैनिक) को अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान किये जाने हेतु दिनांक-04.11.2024 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गई । उक्त आहूत बैठक की कार्यवाही पृष्ठ-131-126/प0 पर अवलोकनीय है ।

उक्त आहूत बैठक में **श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित रहने के कारण** इन्हें समिति द्वारा उच्चतर पद अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य पाया गया(पृ0-129/प0 क्र0सं0-2) ।

संॅ0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-19/2023

6. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1172 दिनांक-16.01.2025 द्वारा श्री राजेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता(मु0), रूपांकण/अन्वेषण/गुण-नियुत्रण का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में इन्हें आरोप मुक्त किया गया(पृ0-125-124/प0 कृपया द्रष्टव्य) ।

उल्लेख करना है कि पूर्व में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की आहूत बैठक में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित एवं निर्गत रहने के कारण निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में तथा इसी मामले में विभागीय कार्यवाही संस्थित रहने के कारण इन्हें उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करने हेतु समिति द्वारा अयोग्य पाया गया था ।

7. विभागान्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक अभियन्ता(असैनिक) को अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित प्रदान करने हेतु दिनांक-24.01.2025 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा इन्हें अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार(वेतनमान सहित) प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी(पृ0-119-117/प0 कृपया द्रष्टव्य)

समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1507 दिनांक-01.02.2025(पृ0-121-120/प0) द्वारा श्री कुमार को अधीक्षण अभियन्ता (असैनिक) के पद का विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया ।

8. दिनांक-04.11.2024 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की आहूत बैठक में समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1935 दिनांक- 25.02. 2025(पृ0-139-138/प0) द्वारा श्री शशि भूषण चौधरी, अधीक्षण अभियंता(मु0), उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया ।

9. वर्तमान में विभागान्तर्गत मुख्य अभियन्ता(असैनिक/यॉंत्रिक) के स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त बल की स्थिति निम्नवत् है-

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	2	3	4	5
1.	मुख्य अभियन्ता (असैनिक)	03	03	00
	मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक)	01	00	01

उपर्युक्त कंडिका के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करने हेतु वर्तमान में एक भी रिक्त नहीं है ।

10. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-7433 दिनांक-06.06.2018 (पृ0-135-132/प0) द्वारा राज्य की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है । उक्त संकल्प में वर्णित कालावधि के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता(वेतन स्तर-13) से मुख्य अभियन्ता(वेतन स्तर-13A) में प्रोन्नति/कार्यकारी प्रभार प्रदान करने हेतु 02 वर्ष की कालावधि निर्धारित है ।

उक्त संकल्प की कंडिका-3(iv) में प्रावधानित है कि *"निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उसे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतन स्तरों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है"* ।

यहाँ उल्लेख करना है कि श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, असैनिक(कार्यकारी प्रभार) द्वारा वर्तमान धारित पद का न्यूनतम 01 वर्ष की कालावधि दिनांक-31.01.2026 को पूर्ण कर चूके हैं ।

12. वर्तमान में कार्यरत मुख्य अभियंता(असैनिक) की मूल वरीयता निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता(असैनिक) का नाम	मूल कोटि की वरीयता (2016)	मूल कोटि की वरीयता (2025)
1	2	3	4
1	श्री जगन्नाथ पासवान	42	3
2	श्री सुनील कुमार	47	6
3	श्री शशि भूषण चौधरी	48	7

श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) की मूल कोटि की वरीयता निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	अधीक्षण अभियंता (असैनिक) का नाम	मूल कोटि की वरीयता (2016)	मूल कोटि की वरीयता (2025)
1	2	3	4
1	श्री राजेश कुमार	44	4

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) मूल वरीयता के अनुसार श्री सुनील कुमार एवं श्री शशि भूषण चौधरी, मुख्य अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) से वरीय हैं ।

13. श्री कुमार का सेवा में प्रथम योगदान की तिथि एवं पूर्व में प्रदत्त प्रोन्नति/कार्यकारी प्रभार की स्थिति निम्नवत् है :-

(क) सेवा में प्रथम योगदान की तिथि - 06.06.1995

(ख) कार्यपालक अभियंता(असैनिक) के पद पर प्रोन्नति की तिथि - 09.06.2008

(ग) अधीक्षण अभियंता(असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करने की तिथि - 01.02.2025

श्री कुमार, अधीक्षण अभियंता(असैनिक) उच्चतर पद यथा- मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार प्राप्त करने हेतु अर्हता पूर्ण करते हैं ।

सं0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-19/2023

14. निम्नांकित दो स्थितियों में से किसी एक स्थिति के होने पर ही श्री कुमार को मुख्य अभियंता(असैनिक) के उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जा सकता है :-

(क) मुख्य अभियंता(असैनिक) के पद की रिक्ति की उपलब्धता होने पर ।

(ख) श्री कुमार से मूल कोटि की वरीयता में सबसे कनीय मुख्य अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) को कार्यकारी प्रभार से मुक्त किये जाने की स्थिति में रिक्ति की उपलब्धता होने पर ।

15. अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) से मूल कोटि की वरीयता में सबसे कनीय मुख्य अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) को कार्यकारी प्रभार से मुक्त कर इन्हें मुख्य अभियंता(असैनिक) के उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जा सकता हैं अथवा नहीं, के संबंध में परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की जा सकती हैं ।

05.02.26
(शिवम कुमार)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

अवर सचिव

कृपया ।
05.2.26

433/AS
05/02/26

अपर सचिव
कृपया पार्श्व पृष्ठ से उपरि से टिप्पणी तदनुसार परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की जा सकती है।

5/2/26
संगीता सिंह

573
06/2/26

सचिव
कैसे और कितने मामले हैं? टिप्पणी दें
06/02

9/2/26

(50)

संoसंo-प्रo-01/लoजoसंo/स्थाo(राजo)-19/2023

कृपया पृष्ठ-157-149/पo पर रक्षित पत्र के आलोक में पृo-36/टिo से आगत टिप्पणी एवं पूर्व टिप्पणी पृष्ठ पर भवदीय निदेश । विमर्श हुआ ।

श्री कुमार, अधीक्षण अभियंता के मामले को छोड़कर ऐसे और मामले नहीं है ।

अतएव श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) से मूल कोटि की वरीयता में सबसे कनीय, मुख्य अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) को कार्यकारी प्रभार से मुक्त कर इन्हें मुख्य अभियंता(असैनिक) के उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जा सकता हैं अथवा नहीं, के संबंध में परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की जा सकती हैं ।

9/2/26

(संगीता सिंह)

सचिव

11/02

सा. प्र. विभाग

12/02/26

12.02.2026

कृपया पृष्ठ–36 / टि0 से आगत प्रशासी विभाग की कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया जाय।

2. विचाराधीन मामले में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता (मु0), उड़नदस्ता को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के आलोक में मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने के निमित्त परामर्श हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग में पृष्ठांकित की गयी है।

3. संक्षेप में मामला यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के आलोक में मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार दिए जाने के निमित्त प्रशासी विभाग के अधीन दिनांक–18.10.2023 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियंता–सह–प्रभारी अधीक्षण अभियंता अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित एवं निर्गत रहने के कारण निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखने की अनुशंसा की गयी, जिसके फलस्वरूप इनसे कनीय कार्यपालक अभियंता को मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद का उच्चतर प्रभार दिया गया।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के आलोक में पुनः अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार दिए जाने के निमित्त प्रशासी विभाग के अधीन दिनांक–04.11.2024 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित रहने के कारण इन्हें उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु अयोग्य पाया गया।

5. प्रशासी विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–1172 दिनांक–16.01.2025 द्वारा श्री राजेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में इन्हें आरोपमुक्त कर दिए जाने के कारण प्रशासी विभाग के अधीन दिनांक–24.01.2025 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रशासी विभाग की अधिसूचना संख्या–1507 दिनांक–01.02.2025 द्वारा श्री कुमार को अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद का उच्चतर पद का प्रभार दिया गया।

6. श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–49 दिनांक–27.01.2026 के माध्यम से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के आलोक में वरीयता क्रम में इनसे कनीय 02 पदाधिकारियों को मुख्य अभियंता (असैनिक) के उच्चतर पद का लाभ प्राप्त करने की सूचना देते हुए इन्हें भी मुख्य अभियंता (असैनिक) के उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु अनुरोध किया गया है। श्री राजेश कुमार से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रशासी विभाग द्वारा मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान करने हेतु वर्तमान में एक भी रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की सूचना देते हुए श्री कुमार को मुख्य अभियंता (असैनिक) के उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने के निमित्त निम्नांकित 02 बिन्दुओं पर परामर्श की अपेक्षा की गयी है–

(i) मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद की रिक्ति उपलब्धता होने पर।

(ii) श्री कुमार से मूल कोटि की वरीयता में सबसे कनीय मुख्य अभियंता (असैनिक, कार्यकारी प्रभार) को कार्यकारी प्रभार से मुक्त किये जाने की स्थिति में रिक्ति की उपलब्धता होने पर।

7. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 द्वारा प्रवृत्त नियमावली में मूल कोटि की वरीयता, कालावधि पूर्ण करने की शर्त एवं आरोप की स्वच्छता के आधार पर उच्चतर पद का प्रभार देने की व्यवस्था की गयी है, जिसके आलोक में प्रशासी विभाग के स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि मूल कोटि के आधार पर वरीयता एवं अन्य वांछित अर्हता पूर्ण करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी को ही उच्चतर पद का प्रभार दिया जाय।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त पदाधिकारियों/कर्मियों को बाद में योग्यता धारित करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के कारण अवक्रमित (Revert) करने का प्रावधान नहीं है। अतः मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद की रिक्ति उपलब्ध होने पर प्रशासी विभाग नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु स्वयं सक्षम है।

9. उपर्युक्त कंडिका–8 में अंकित परामर्श पर अपर मुख्य सचिव के अनुमोदनोपरांत संचिका प्रशासी विभाग को वापस की जा सकती है।

Md. Mojammel Ansari 17.02.2026

(मो0 मोजम्मील अंसारी)

प्रशाखा पदाधिकारी

उपसचिव

(गौतम कुमार) 17.02.2026

अपर सचिव

PS-663 17/02/26

17.02.26

(दिवाकर मणि)

पार पृष्ठ से लगातार कार्यालय समीक्षा की कंडिका-07 के आलोक में प्रस्ताव की

C:// Mojammel/Tippani

-13-

कंडिका -08 के परामर्श के साथ संचिका प्रभारी विभाग को वापस की जा सकती है।

कृपया।

17/02/26

सचिव,

कृपया

18/2/26

लघु जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या 1229
प्राप्ति की तिथि 18.2.26
निर्देश

18/02/26

18.02.26

श्री भोजनाथ कुमार

18.02.2026

23/02

23/2/26

प्रिवंशी

23.2.26

संॅ0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-19/2023

कृपया पृ0-41-43/टि0 पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परामर्श का अवलोकन किया जाय ।

2. श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) से मूल कोटि की वरीयता में सबसे कनीय मुख्य अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) को कार्यकारी प्रभार से मुक्त कर इन्हें मुख्य अभियंता(असैनिक) के उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जा सकता हैं अथवा नहीं, के संबंध में परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्टांकित की गयी(पृ0-40/टि0 कृपया द्रष्टव्य) ।

3. उक्त विभागीय अपेक्षा के आलोक में पृ0-42/टि0 पर सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य परामर्श की कंडिका-8 निम्नवत् है-

''अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली,2023 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त पदाधिकारियों/कर्मियों को बाद में योग्यता धारित करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के कारण अवक्रमित(Revert) करने का प्रावधान नहीं है । अतः मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद की रिक्ति उपलब्ध होने पर प्रशासी विभाग नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु सक्षम है'' ।

4. वर्तमान में विभागान्तर्गत मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त बल की स्थिति निम्नवत् है-

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	2	3	4	5
1.	मुख्य अभियन्ता (असैनिक)	03	03	00

अतएव सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के पद की रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) सहित अन्य योग्यता धारित करने वाले अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रदान नहीं किया जा सकता है ।

संचिका आदेशार्थ उपस्थापित ।

24.02.26

(शिवम कुमार)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

अवर सचिव

कृपया ।
24.2.26

अपर सचिव

सं0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-19/2023

कृपया पूर्व पृष्ठ से आगत कार्यालय टिप्पणी एवं पृ0-43-41/टि0 पर सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श ।

श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियंता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) को मुख्य अभियन्ता(असैनिक) के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण प्रदान नहीं की जा सकती है । संचिका मात्र अवलोकनार्थ ।

24/2/26

(संगीता सिंह)

<u>सचिव</u>

बी० कार्तिकेय धनजी

25/2/26

25.2.26